



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3799]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941

No. 3799]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2019

का.आ. 4225(अ).—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड(ii), तारीख 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2742(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक के सामने तत्स्थानी विनिर्दिष्ट श्रेत्र में रेलवे, हवाई परिवहन सेवा, खानों और तेल क्षेत्रों से संबंधित स्थापनों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के, उस क्षेत्र में नियोजित या भुगतान किए गए, व्यक्तियों की मजदूरी से कटौती या मजदूरी के भुगतान में विलंब से उद्भूत सभी दावों, ऐसे दावों में आनुषंगिक सभी मामलों सहित, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उनके सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए सुनवाई और विनिश्चय करने हेतु प्राधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली, मुख्यालयों में सभी क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत।
2.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद और बडोदरा	गुजरात राज्य और दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र।
3.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर और जयपुर	राजस्थान राज्य।
4.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल	पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिले।

5.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर और बेल्लारी	कर्नाटक राज्य ।
6.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर और राउरकेला	ओड़िशा राज्य ।
7.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई, पुणे और वास्को (गोवा)	महाराष्ट्र राज्य के (नागपुर, भंडारा, अकोला, बीड, अमरावती, वर्धा, बुल्धाना, जलगांव, चंद्रपुर, नांदेड, गढ़चिरोली, प्रभनाई, लातूर, येवतमल, ओस्मानाबाद, हिंगोली, गोंडिया, वासिम के सिविल जिलों के सिवाय) और गोवा राज्य ।
8.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य के (वर्धवान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिलों के सिवाय) सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र ।
9.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कोच्चिन और तिरुअनंतपुरम	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माही ।
10.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़ और जम्मू	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।
11.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद और रांची	झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले—धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवगढ़, सराय कियाला (खार्सवान) और जामतारा ।
12.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी और डिब्रुगढ़	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ।
13.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद और विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र ।
14.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर और भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य ।
15.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर और लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य (सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, बागपत, हापुड़, शामली और गौतम बुद्ध नगर सिविल जिलों के सिवाय) ।
16.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), देहरादून और नोएडा	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत, हापुड़, शामली और गौतमबुद्ध नगर सिविल जिले।
17.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), चैन्नई और मदुरई	तमिलनाडु और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माही के सिवाय) ।
18.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नागपुर	महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुल्धाना, जलगांव, चंद्रपुर, बीड, नांदेड, गढ़चिरोली, परभानी, लातूर,

		येवतमल, ओस्मानाबाद, गोंडिया, वासिम और हिंगोली सिविल जिले।
19.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली
20.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), पटना	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गढ़वा, लातिहार, साहिबगंज, पाकुर, दुमका, पलामू और गोड्डा सिविल जिले।
21.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर और बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य।

[फा.सं.एस-31013/1/2019-डब्ल्यूसी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2019

S.O. 4225(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2742(E), dated the 21st October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table below to be the authority to hear and decide for the area specified against them in column (3) of the said table, all claims arising out of deductions from the wages, or delay in the payment of wages of persons employed or paid in the area, including all matters incidental to such claims to the employees employed in the employments or establishments in relation to railways, air transport services, mines and oil fields in the corresponding area specified against each in column (3) of the said table, namely:—

TABLE

S.No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All the Regional Labour Commissioners (Central) in Head Quarters, Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi	The Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central), Ahmedabad and Vadodara	The State of Gujarat and the Union territories of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	Regional Labour Commissioners (Central), Ajmer and Jaipur	The State of Rajasthan.
4.	Regional Labour Commissioner (Central), Asansol	The Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
5.	Regional Labour Commissioners (Central), Bangalore and Bellary	The State of Karnataka.
6.	Regional Labour Commissioners (Central), Bhubaneswar and Rourkela	The State of Odisha.
7.	Regional Labour Commissioners (Central), Mumbai, Pune and Vasco (Goa)	The State of Maharashtra (except the Civil Districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Beed, Amaravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Nanded, Gaddchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Osmanabad, Hingoli, Gondia and Washim) and the State of Goa.
8.	Regional Labour Commissioner (Central), Kolkata	The State of West Bengal (except the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia), the State of Sikkim and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	Regional Labour Commissioners (Central), Cochin and Thiruvananthapuram	The State of Kerala and Union territory of Lakshadweep and Mahe in the Union territory of Puducherry.
10.	Regional Labour Commissioners (Central), Chandigarh and Jammu	The States of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Union territories of Jammu and Kashmir, Laddakh and Chandigarh.

11.	Regional Labour Commissioners (Central), Dhanbad and Ranchi	The following Districts of the State of Jharkhand, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Koderma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deogarh, Sarai keala (Kharsawar) and Jamtara.
12.	Regional Labour Commissioners (Central), Guwahati and Dibrugarh	The States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.
13.	Regional Labour Commissioners (Central), Hyderabad and Vishakhapatnam	The States of Andhra Pradesh and Telangana and the area of Yanam in the Union territory of Puducherry.
14.	Regional Labour Commissioners (Central), Jabalpur and Bhopal	The State of Madhya Pradesh.
15.	Regional Labour Commissioners (Central), Kanpur and Lucknow	The State of Uttar Pradesh (except the Civil Districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Bareilly, Muzaffarnagar, Badaun, Moradabad, Jyotiba Phule Nagar (Amroha), Pilibhit, Shahjahanpur, Rampur, Bhagpat, Hapur, Shamli and Gautam Budh Nagar.
16.	Regional Labour Commissioners (Central), Dehradun and Noida	The State of Uttarakhand and Civil Districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Bareilly, Muzaffarnagar, Moradabad, Jyotiba Phule Nagar (Amroha), Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Bhagpat, Hapur, Shamli and Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh.
17.	Regional Labour Commissioners (Central), Chennai and Madurai	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry (except Yanam and Mahe).
18.	Regional Labour Commissioner (Central), Nagpur	The Civil Districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Amaravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Beed, Nanded, Gaddchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Osmanabad, Gondia, Washim and Hingoli in the State of Maharashtra.
19.	Regional Labour Commissioner (Central), New Delhi	National Capital Territory of Delhi.
20.	Regional Labour Commissioner (Central) Patna	The State of Bihar and the Civil Districts of Garhwa, Latehar, Sahibganj, Pakur, Dumka, Palamu and Godda in the State of Jharkhand.
21.	Regional Labour Commissioners (Central), Raipur and Bilaspur	The State of Chhattisgarh.

[F. No. S-31013/1/2019-WC]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2019

का.आ. 4226(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (ii), तारीख 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2741(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, अनुसूचित नियोजनों में नियोजित और लगे हुए कर्मचारियों जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार ही समुचित सरकार है, मजदूरी के न्यूनतम दरों से कम भुगतान या विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक के भुगतान की बाबत या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ऐसे दिनों में किए गए कार्य या धारा 14 के अधीन अतिकालिक दर पर मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावों की सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए उनके सामने स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए प्राधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली, मुख्यालयों में सभी क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत।
2.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद और वडोदरा	गुजरात राज्य और दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र।
3.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर और जयपुर	राजस्थान राज्य।
4.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल	पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिले।
5.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर और बेल्लारी	कर्नाटक राज्य।
6.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर और राउरकेला	ओडिशा राज्य।
7.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई, पुणे और वास्को (गोवा)	महाराष्ट्र राज्य के (नागपुर, भंडारा, अकोला, बीड, अमरावती, वर्धा, बुल्धाना, जलगांव, चंद्रपुर, नांदेड, गढ़चिरोली, प्रभनाई, लातूर, येवतमल, ओस्मानाबाद, हिंगोली, गोंडिया, वासिम के सिविल जिलों के सिवाय) और गोवा राज्य।
8.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य के (वर्धवान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिलों के सिवाय) सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र।
9.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कोच्चिन और तिरुअनंतपुरम	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माही।
10.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़ और जम्मू	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र।
11.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद और रांची	झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले-धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवगढ़, सराय कियाला (खार्सवान) और जामतारा।
12.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी और डिब्रुगढ़	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।
13.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद और विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र।
14.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर और भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य।
15.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर और लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य (सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, बागपत, हापुड, शामली और गौतम बुद्ध नगर सिविल जिलों के सिवाय)।
16.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), देहरादून और नोएडा	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत, हापुड, शामली और गौतमबुद्ध नगर सिविल जिले।
17.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), चैन्नई और मदुरई	तमिलनाडु और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माही के सिवाय)।

18.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नागपुर	महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुल्धाना, जलगांव, चंद्रपुर, बीड, नांदेड, गढ़चिरौली, परभानी, लातूर, येवतमल, ओस्मानाबाद, गोंडिया, वासिम और हिंगोली सिविल जिले।
19.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली
20.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), पटना	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गढ़वा, लातिहार, साहिबगंज, पाकुर, दुमका, पलामू और गोड्डा सिविल जिले।
21.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर और बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य।

[फा. सं. एस-31013/1/2019-डब्ल्यूसी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2019

S.O. 4226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. number 2741(E), dated the 21st October, 2014, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd October, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table below to be the authority to hear and decide all claims arising out of payment of less than the minimum rates of wages or in respect of the payment of remuneration for days of rest or for work done on such days under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 13 or of wages at the overtime rate under section 14, to the employees employed and engaged in the scheduled employments in relation to which the Central Government is the appropriate Government, in the area specified against them in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All the Regional Labour Commissioners (Central) in Head Quarters, Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi	The Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central), Ahmedabad and Vadodara	The State of Gujarat and the Union territories of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	Regional Labour Commissioners (Central), Ajmer and Jaipur	The State of Rajasthan.
4.	Regional Labour Commissioner (Central), Asansol	The Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
5.	Regional Labour Commissioners (Central), Bangalore and Bellary	The State of Karnataka.
6.	Regional Labour Commissioners (Central), Bhubaneswar and Rourkela	The State of Odisha.
7.	Regional Labour Commissioners (Central), Mumbai, Pune and Vasco (Goa)	The State of Maharashtra (except the Civil Districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Beed, Amaravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Nanded, Gaddchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Osmanabad, Hingoli, Gondia and Washim) and the State of Goa.
8.	Regional Labour Commissioner (Central), Kolkata	The State of West Bengal (except the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia), the State of Sikkim and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	Regional Labour Commissioners (Central), Cochin and Thiruvananthapuram	The State of Kerala and Union territory of Lakshadweep and Mahe in the Union territory of Puducherry.